संख्या-15/2015/855/26-3-2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,उ0प्र0
लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 मार्च, 2015

विषयः- समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत नव निर्मित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (इण्टरमीडिएट स्तर तक) के संचालन हेतु साज-सज्जा की धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1355/स0क0/विकास/2014-15 दिनांक 12-02-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में नव निर्मित 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों (इण्टरमीडिएट स्तर तक) के संचालन हेतु साज-सज्जा की धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से रू0 7,66,86,,000/-(रूपये सात करोड़ छाछठ लाख छियासी हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3) प्रश्नगत 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के संचालन हेतु आवश्यक साज-सज्जा एवं उपकरणों का क्रय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालय -42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-531/दस-2015, दिनांक 29 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-बी0एम0-9

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-15/2015/855/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी,जवाहर भवन/मुख्यकोषाधिकारी,कलेक्ट्रेट, कैसरबाग,लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5 निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।
6 बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
7. सबन्धित जिलाधिकारी
8. प्रबंध निदेशक यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0
9. गार्डफाइल/इण्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी0एम-9(पार्ट-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(सन्दर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर -158)

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग वित्तीय वर्ष 2014-15 धनराशि हजार रू0 में

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों का कल्याण-					
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण					
789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना					
12- राजयकीय आश्रम पद्धति विद्यालय					
41- भोजन व्यय	411619	60000	38386	38386	373233
43- सामग्री संपूर्ति	205000	50000	38300	38300	166700
योग	**616619**	**110000**	**76686**	**76686**	**539933**
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध् अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्यासित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराश (8-9)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण धनराशि	संक्रमण् के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+9)
7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण- 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 12- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय 42- अन्य व्यय	10120	86806	76686	76686	86806
योग	**10120**	**86806**	**76686**	**76686**	**86806**

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

(क) आवश्यकता के अनुसार बचत है।

2- स्तम्भ-8 मे उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ- 9 अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

(क) मानक मद मे राज्य सरकार की वचनबद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पडने कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 व 154 एवं 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-630/ई-3-531/दस-2015 दिनांक 29 मार्च , 2015

सेवा मे

महालेखाकार लेखा (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबादा

(सुनील कुमार)

प्रमुख सचिव

समाज कल्याण विभाग ।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

समाज कल्याण विभाग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-15/2015/855/26-3-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, कैसरबाग, लखनऊ।

4-वित्त (व्यय नियंत्र) अनुभाग-3

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

6- प्रबंध निदेशक यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0

7- निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।

8- सलाहकार समाज कल्याण,उ0प्र0 शासन।

8- गार्डफाइल्/ इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

[redacted]

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।